मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017

स्रोत– 'द हिन्दू' ‖ '06 अगस्त, 2018'

IAS PCS

GS WORLD

एक नजर में...

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017

चर्चा में क्यों?

- सड़क सुरक्षा संगठनों के गठबंधन ने सरकार से आग्रह किया है कि वह मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2017 संसद के आने वाले सत्र में पारित करवाए।
- सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस विधेयक के पारित होने को देश में सड़क सुरक्षा के निराशाजनक रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम बताया है।
- यह विधेयक 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में अहम संशोधनों के लिए लाया गया था।

लाभ

- सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस विधेयक में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- प्रत्येक स्तर पर सरकारों के साथ-साथ नगरिकों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि को भी जिम्मेदार बनाने का दायित्व तय किया गया है।
- यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड आरोपित कर यह सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा।
- लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने एवं इसे आधार संख्या से लिंक करने के कारण यह फर्जी लाइसेंस प्राप्त करने के कार्य को कठिन बनाएगा।
- यह लाइसेंस प्राप्त करने में राजनीतिक प्रभाव को कम करेगा।
- इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के पंजीकरण के हस्तांतरण की सुगमता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है जिसकी अनुशंसा 'एस.सुंदर समिति' द्वारा की गई थी।
- इसमें सड़कों की डिजाइन, निर्माण एवं रख-रखाव के लिये जिम्मेदार किसी भी ठेकेदार या परामर्शदाता को सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करना होगा एवं सड़क दुर्घटनाओं के लिये उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- यह विधेयक इसके पूर्ववर्ती 2016 के संशोधन विधेयक में उपलब्ध 'थर्ड पार्टी इंश्योरेंस' के लिये देयता पर निर्धारित ऊपरी सीमा को समाप्त करता है।
- यह विधेयक ड्राइविंग लाइसेंसों की वैधता को बढ़ाने, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- यह ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये आधार संख्या को भी अनिवार्य करता है।
- शराब पीकर वाहन चलाना, खराब वाहन चालन एवं सुरक्षा मानदंडों के गैर-अनुपालन पर कठोर आर्थिक दंड का प्रावधान करता है।
- इस विधेयक में वाहन चलाते हुए पकड़े गए अव्यस्कों के माता-पिता के लिये तीन वर्ष का कारावास तथा पीड़ित व्यक्ति को 10 गुना क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

GS WORLD